

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)
दांडिक अपील क्र.-192/16
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-02/03/16

1. रायसिंह पुत्र रामदयाल आयु 35 साल
 2. देशराज पुत्र जबरसिंह आयु 26 साल
 3. शेरसिंह पुत्र रामदयाल आयु 32 साल
 4. शिवराज सिंह पुत्र जबरसिंह आयु 22 साल
- समस्त जाति जाटव निवासीगण ग्राम ऐमनपुरा
 थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

.....**अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण**

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा
 जिला भिण्ड म0प्र0**प्रत्यर्थी**

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
 अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री सागर सिंह कंधाना अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 12/07/2017 को घोषित)

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 572/12, उनवान म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा बनाम रायसिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा-323 (दो काउन्ट) एवं 325 भा0द00सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए क्रमशः तीन-तीन माह के कठिन कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये अर्थदण्ड तथा 1-1 वर्ष के कठिन कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15-15 दिवस एवं एक-एक माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।
2. अभियोजन के अनुसार दि0-14/07/2012 को शाम करीब 6:00 बजे के लगभग ग्राम ऐमनपुरा में धीरेन्द्रसिंह अ.सा.-2 का भाई फरियादी वासेन्द्र अ.सा.-1 अपने घर के दरवाजे पर था, कि रायसिंह, शेरसिंह, देशराज एवं शिवराज जाटव शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। वासेन्द्र ने उन्हें गालियां देने से मना किया तो रायसिंह,

शेरसिंह, देशराज लाठियां लिये हुए तथा शिवराज लोहे का सरिया लाये और चारों ने लाठियों व सरिया से वासेन्द्र की मारपीट की, तब वासेन्द्र का भाई धीरेन्द्र उर्फ बंटी एवं उसकी मां रामढकेली बचाने आयी, तो रामढकेली को शिवराज ने सरिया मारा तथा रायसिंह, शेरसिंह एवं देशराज ने धीरेन्द्र की लाठियों से मारपीट की, जिससे उसके हाथ-पैरों तथा शरीर में जगह-जगह चोटें आयी। रात्रि होने एवं पानी बरसने के कारण रात को रिपोर्ट नहीं की गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर दूसरे दि०-15/07/2012 को सुबह की गयी। उक्त रिपोर्ट पुलिस के द्वारा पुलिस हस्तक्षेप-अयोग्य अपराध की सूचना के रूप में प्रदर्श पी.-1 लिखी गयी तथा धीरेन्द्र सिंह, वासेन्द्रसिंह एवं रामढकेली का मेडीकल परीक्षण कराया गया, जिसमें उन्हें चोटें आना पाया गया। रामढकेली, धीरेन्द्र जाटव एवं वासेन्द्र जाटव की मेडीकल रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी.-3, 4 एवं 5 है। मेडीकल परीक्षण में एक्सरे की सलाह दी गयी।

3. धीरेन्द्रसिंह का एक्सरे परीक्षण कराये जाने पर उसकी दाहिनी कोहनी की रेडियस तथा अल्ना हड्डी में तथा बांये पैर में फ्रैक्चर होना पाया गया। उक्त एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी.-6 है। फ्रैक्चर पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र०-135/2012 अंतर्गत धारा-325, 323, 504 एवं 34 भा०द०सं० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते हुए दि०-19/07/2012 को अपराध की कायमी की गयी। दौराने अनुसंधान दि०-20/07/2012 को घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.-2 बनाया गया। वासेन्द्र, रामढकेली के कथन लिये गये। धीरेन्द्रसिंह का प्रदर्श डी.-1 का कथन लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण रायसिंह, शेरसिंह, देशराज के आधिपत्य से लाठियां तथा शिवराज के आधिपत्य से एक लोहे का सरिया पाइप जैसा जप्त किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाये जाने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा-504, 323 (दो काउन्ट) एवं 325 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को भा०द०सं० की धारा-504 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए धारा-323 (दो काउन्ट) एवं 325 भा०द०सं० के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत् दण्डादेश से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है तथा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रश्नगत् निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्ध एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

“क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है?”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

7. अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं अपील मेमो में यह आधार लिये गये हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 घण्टे के विलंब से लिखायी गयी है, जिसका युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया है। फरियादी पक्ष ने सलाह-मशवरा कर दूसरे दिन विलंब से रिपोर्ट करायी है। इस तथ्य को विचारण न्यायालय के द्वारा अनदेखा किया गया है। अदम चैक में यह वर्णित नहीं है कि फरियादी एवं धीरेन्द्र व रामढकली को किसने कहाँ चोटें पहुँचायी और न ही उसमें यह वर्णित है कि अभियुक्तगण मां बहिन की अश्लील गालियां दे रहे थे। साक्षियों ने अपने कथनों में बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, जिससे उनकी साक्ष्य अविश्वसनीय है। डॉक्टर धीरज गुप्ता अ.सा.-4 ने यह स्वीकार किया है कि छप्पर मय ईंटों के साथ गिरने से इस तरह की चोटें आ सकती हैं। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण की चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इन तथ्यों को भी विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। डॉक्टर धीरज गुप्ता अ.सा.-4 ने चोटों को 24 घण्टे पूर्व की होना बताया है, इस तथ्य को भी विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। पुलिस ने स्वतंत्र साक्षियों के कथन लेखबद्ध नहीं किए हैं, विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दण्डादेश निरस्ती योग्य है। उक्त आधार पर अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

8. इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया गया। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पैरा-14 एवं 15 में अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को अखण्डनीय माना है। पैरा-22 में यह मान्य किया है कि मात्र हितबद्ध होने के आधार पर साक्षी के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। चोटों के संबंध में भी पैरा-24 में यह मान्य किया है कि जब 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर 3 व्यक्तियों की मारपीट की जाये तो यह स्वाभाविक नहीं है कि वह यह बता सके कि किस हथियार से शरीर के किस भाग में चोटें पहुँचायी गयीं। पैरा-26 में यह मान्य किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में विलंब इतना नहीं है कि जिससे संपूर्ण अभियोजन कहानी अविश्वसनीय हो जाये। फरियादी पक्ष के विरुद्ध अन्य प्रकरण के संबंध में पैरा-26 में इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न होने से उक्त बचाव को मान्य नहीं किया है। पैरा-27 में विवेचना अधिकारी की साक्ष्य न होना केवल

प्रक्रियात्मक त्रुटि होना माना है और उक्त आधार पर अभियुक्तगण को लाभ प्रदान नहीं किया जा सकना मान्य किया है। बचाव साक्षी महाराजसिंह ब0सा0-1 को भी पैरा-28 में अविश्वसनीय माना है तथा यह प्रमाणित माना है कि अभियुक्तगण ने फरियादी पक्ष की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति और स्वेच्छया घोर उपहति पहुंचायीं।

9. वासेन्द्र अ.सा.-01 ने यह बताया है कि दिनांक 14.07.12 को शाम 06:00 बजे वह अपने मकान के दरवाजे पर बैठा हुआ था तब अभियुक्त रायसिंह, शेरसिंह, देशराज, और शिवराज आए और मां बहन की उल्टी सीधी गाली दे रहे थे, गाली देने से मना करने पर उन्होंने लाठियों तथा सरिए से मारना शुरू कर दिया। शिवराज के हाथ में सरिया था तथा बाकी तीनों के हाथ में लाठियां थीं। उसके चिल्लाने पर उसकी मां व भाई धीरेन्द्र बाहर आए और उन्होंने बचाने का प्रयास किया तो चारों अभियुक्तगण ने उनकी भी मारपीट की जिससे उसके छोटे भाई धीरेन्द्र के सीधे हाथ की बांह टूट गई थी तथा उसकी मां के बाएं हाथ की बीच की उंगली टूट गई थी और उसके दोनों कूल्हों में मुंदा चोटें आई थीं और जाघों में भी चोटें आई थीं। पीठ में भी लाठियों की चोटें आई थी। थाना गोहद चौराहे पर उसकी रिपोर्ट की थी। जो प्र0पी0-01 है।

10. धीरेन्द्र अ0सा0-01 एवं श्रीमती रामढकेली अ0सा0-03 ने भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए अभियुक्तगण के द्वारा सरिया व लाठियों से वासेन्द्र की मारपीट करना तथा स्वयं की शिवराज द्वारा सरिए से मारपीट करना और शेष अभियुक्तगण के द्वारा रामढकेली की लाठियों से मारपीट करना बताया है। धीरेन्द्र अ0सा0-02 ने यह बताया है कि उसकी दाईं बांह में भी चोट आई थी, जो टूट गई थी तथा दाहिने घुटने और बाएं कंधे पर चोट आई थी और पीठ में भी चोट आई थी। धीरेन्द्र अ0सा0-02 ने यह भी बताया है कि वासेन्द्र को भी चोटें आई थीं और उसकी मां की बाएं हाथ की उंगली में चोट आई थी, पुलिस ने प्र0पी0-02 का नक्शा मौका बनाया था।

11. डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0-04 ने दिनांक 15.07.12 को सी.एच. सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर से पद पर पदस्थ रहते हुए रामढकेली धीरेन्द्र एवं वासेन्द्र का मेडीकल परीक्षण करना बताया है। रामढकेली के दाएं घुटने पर एक खरोंच 06X05 सें.मी. की, बाएं हाथ की मध्य उंगली में कन्टूजन होना पाया है। द्वितीय चोट के लिए एक्सरे की सलाह देना बताया है।

12. डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0-04 ने धीरेन्द्र को क्लेविकल लाइन के मध्य से 04 सें.मी. नीचे की तरफ 02X03 से.मी. का कन्टूजन, दाईं तरफ शोल्डर रीजन पर 04X03 से.मी. का कन्टूजन, दाहिनी कोहनी पर 04X04 से.मी. का कन्टूजन, दाहिने हाथ की दूसरी और चौथी उंगली के आधार पर कन्टूजन एवं दाएं एंकल ज्वाइंट से फुट पर फैला हुआ कन्टूजन होना पाया है। चोट क्रमांक 02 लगायत 06 के लिए एक्सरे की सलाह देना बताया है।

13. डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0-04 ने वासेन्द्र के दाएं हाथ में ऊपर

की तरफ 08X05 से.मी. का कन्टूजन, दाएं पैर के तलुए पर 02X02 से.मी. का कन्टूजन, बाएं कंधे पर 06X03 से.मी. का कन्टूजन एवं दाएं कूल्हे पर 04X03 से.मी. का कन्टूजन होना पाया है। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०-04 ने उपरोक्त सभी चोटों को सख्त मोहथरी वस्तु से आना एवं 24 घंटे के भीतर की होना तथा एक्सरे वाली चोट को छोड़कर शेष चोटों को सामान्य प्रकृति का होना बताया है। उनकी रिपोर्ट क्रमशः प्र०पी०-03 लगायत प्र०पी०-05 है।

14. डॉ० धीरज गुप्ता ने धीरेन्द्र की एक्सरे रिपोर्ट में दाहिनी कोहनी पर रेडियस एवं अलना हड्डी तथा दाएं पैर पर फ्रैक्चर होना बताया है। उनकी एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी०-06 है। इस प्रकार धीरेन्द्र की दाहिनी कोहनी तथा बाएं पैर पर फ्रैक्चर होना पाया गया है। उक्त दोनों चोटें घोर उपहतियां हैं, शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं।

15. वासेन्द्र अ०सा०-01, धीरेन्द्र अ०सा०-02 एवं श्रीमती रामढकेली अ०सा०-03 ने रायसिंह, शेरसिंह, देशराज और शिवराज द्वारा सरिए व लाठियों से इन तीनों की मारपीट करना बताया है। तत्समय ही दिनांक 15.07.12 को मेडीकल परीक्षण हो गया है और फरियादी पक्ष को उपरोक्त चोटें पाई गई है। जिससे कि अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सी साक्ष्य से भली भांति हो रही है। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि प्र०पी०-01 की रिपोर्ट से भी भली-भांति हो रही है।

16. बचाव पक्ष की ओर से बचाव में महाराज सिंह ब०सा०-01 की साक्ष्य प्रस्तुत की हैं, परंतु उसने लगभग अभियुक्तगण के विपरीत ही साक्ष्य दी है। उसने दिनांक 19.07.12 को अभियुक्तगण के द्वारा वासेन्द्र, धीरेन्द्र एवं रामढकेली की कोई मारपीट न करना बताया है। जबकि घटना दिनांक 14.07.12 की है। बाद में प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह 05:00 बजे सो गया था। इस कारण वह कुछ नहीं कह सकता है और यदि उसके सोने के बाद झगड़ा हुआ हो तो वह कुछ नहीं कह सकता है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पैरा-28 में यह सही निष्कर्ष दिया गया है कि महाराज सिंह ब०सा०-01 के कथनों से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार स्वतः ही प्रकट हो जाता है कि महाराज सिंह ब०सा०-01 को अभियुक्तगण को बचाने हेतु असत्य रूप में प्रस्तुत कर उसकी साक्ष्य कराई गई है।

17. जहां तक कि अपीलार्थीगण के द्वारा यह आधार लिया गया है कि वासेन्द्र, धीरेन्द्र एवं रामढकेली एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा अभियोजन के द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। ये सामान्य नियम हैं कि जिन व्यक्तियों के साथ जो घटना घटित होगी वही साक्ष्य देंगे और वही साक्षी होंगे। प्रथक से किसी को साक्षी नहीं बनाया जा सकता है। यदि तीनों आपस में रिश्तेदार हैं और तीनों की ही मारपीट हुई है, तब मात्र रिश्तेदार होने के नाते या हितबद्ध होने के नाते उनकी साक्ष्य को इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि वे आपस में रिश्तेदार हैं या स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में केवल इस पर

विचार करना होता है कि साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नहीं। उसमें स्वतंत्र साक्षी या रिश्तेदार होने पर विचार नहीं किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पैरा-22 में बचाव पक्ष के इस तर्क को अमान्य किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं कराए गए हैं और साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं।

18. अपीलार्थीगण/बचाव पक्ष की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि किसी आहत साक्षी ने यह नहीं बताया है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से शरीर के किस स्थान पर मारपीट की। डॉ० धीरेन्द्र गुप्ता अ०सा०-04 की साक्ष्य तथा प्र०पी०-03, प्र०पी०-04 तथा प्र०पी०-05 की मेडीकल रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि रामढकेली उर्फ रामलखेरी को दो चोटें, धीरेन्द्र जाटव को छः चोटें वासेन्द्र जाटव के पांच चोटें आई हैं। जिसमें धीरेन्द्र के दाहिनी कोहनी व दाहिने पैर में फ्रेक्चर हुआ है। जिससे कि स्पष्ट है कि तीनों की अच्छी तरह से मारपीट की गई है। जहां कि चार व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार तीन व्यक्तियों की मय लाटियों और सरिया से मारपीट की गई हो, तब ऐसी स्थिति में यह बताना ही संभव नहीं है कि किस अभियुक्त ने किसको किस हथियार से मारा और किस अभियुक्त ने किस-किस हथियार से किस व्यक्ति को शरीर के किस-किस स्थान पर चोटें पहुंचाई। अतः ऐसी स्थिति में केवल यह नहीं बताए जाने से अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-24 में यह निष्कर्ष दिए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं है कि मात्र इस आधार पर फरियादी एवं आहतगण के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

19. जहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देर से लिखाए जाने का आधार है, अभियोजन का यह मामला है कि शाम 06:00 बजे की घटना है और उस समय पानी बरस रहा था तथा रात्रि होने से दूसरे दिन रिपोर्ट की गई थी। यद्यपि इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं है कि रात्रि होने एवं पानी बरसने के कारण दूसरे दिन रिपोर्ट की थी। परंतु रिपोर्ट प्र०पी०-01 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि विलंब अत्यधिक नहीं है क्योंकि शाम 06:00 बजे की घटना है और दूसरे दिन सुबह ही रिपोर्ट कर दी गई है।

20. वासेन्द्र अ०सा०-01 ने पैरा-03 में यह बताया है कि घटनास्थल से थाना गोहद चौराहा 07 किलोमीटर की दूरी पर है। परंतु उसने यह भी बताया है कि उसके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल आदि वाहन नहीं हैं। उसने यह बताया है कि वह पेशी करने गोहद न्यायालय बस से आया है। धीरेन्द्र अ०सा०-02 ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा-02 में बताया है कि उसके पास साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं है। रामढकेली अ०सा०-03 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि रिपोर्ट करने मोटरसाइकिल से थाने आई थी तथा मोटरसाइकिल उसका भतीजा ओमप्रकाश चलाकर लाया था, वह मोटरसाइकिल से बारी-बारी से उनको थाने ले गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि फरियादी पक्ष के पास वाहन भी नहीं था।

21. रामढकेली अ0सा0-03 से प्रतिपरीक्षण के पैरा-02 में पूछे जाने पर उसने यह व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकती कि पानी कितनी देर तक बरसा था, जिससे यह स्पष्ट है कि **बचाव पक्ष को यह स्वीकार है कि तत्समय पानी बरस रहा था।** अतः ऐसी स्थिति में जहां कि रात्रि में पानी बरस रहा हो तथा थाने जाने के लिए साइकिल या मोटरसाइकिल या अन्य कोई साधन न हो तब रात्रि से सुबह तक का विलंब हो जाना स्वभाविक और प्राकृतिक है। अतः ऐसी स्थिति में शाम 06:00 बजे घटना होने तथा दूसरे दिन सुबह 08:00 बजे रिपोर्ट लिखाया जाना कोई विशेष विलंब नहीं है और उसका युक्तियुक्त स्पष्टीकरण भी अभिलेख पर है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय के पैरा-25 में यह निष्कर्ष दिए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि रिपोर्ट किए जाने में उक्त विलंब इतना अधिक भी नहीं है कि जिससे कि संपूर्ण अभियोजन कहानी अविश्वसनीय हो जाए।

22. अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि अभियुक्तगण ने फरियादी पक्ष की मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट की गई थी। उक्त प्रकरण से बचने के लिए यह मिथ्या प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। वासेन्द्र अ0सा0-01 को प्रतिपरीक्षण के पैरा-03 में बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि वासेन्द्र ने अपने घर के निस्तार का पानी अभियुक्तगण के मकान के सामने कर दिया था, रायसिंह के घर का पानी उसके दरवाजे पर होता हुआ निकलता है, पानी निकलने से उसने अभियुक्तगण की मारपीट की थी, जिससे बचने के लिए यह झूठा अपराध कायम किया है।

23. धीरेन्द्र अ0सा0-02 को भी प्रतिपरीक्षण के पैरा-03 में यह सुझाव दिया है कि उसके विरुद्ध थाना गोहद चौराहे पर रायसिंह वगैराह की रिपोर्ट से झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसी से बचने के लिए यह झूठा प्रकरण बनवाया है। परंतु अभिलेख पर अभियुक्तगण की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और न ही तलब कराया है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि अभियुक्तगण की रिपोर्ट से फरियादी पक्ष के विरुद्ध तत्समय का कोई प्रकरण पंजीबद्ध है, ऐसी कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होना कर्तव्य प्रकट नहीं है। उक्त बचाव से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. वासेन्द्र अ0सा0-01 ने एवं धीरेन्द्र अ0सा0-02 को अन्य प्रकरण का सुझाव दिया है, परंतु बचाव साक्षी महाराज सिंह ब0सा0-01 ने ऐसी साक्ष्य ही नहीं दी है कि इस प्रकार का कोई प्रकरण है जो अभियुक्तगण की रिपोर्ट पर से फरियादी पक्ष के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह आधार अपने आप में विश्वसनीय नहीं है।

25. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी का कथन नहीं कराया गया है। इस मामले में वासेन्द्र अ0सा0-01, धीरेन्द्र अ0सा0-02 एवं रामढकेली अ0सा0-03 आहतगण होकर घटना के प्रमुख साक्षी हैं,

उन्होंने अभियोजन मामले की पुष्टि की है, जिसकी पुष्टि डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०-04 की साक्ष्य से हो रही है। तब ऐसी स्थिति में मात्र विवेचना अधिकारी की साक्ष्य न होने से प्रकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर भी विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण नहीं है।

26. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०-04 से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उन्होंने बाद में यह बताया है कि उनके पास एम.एल.सी. के लिए आने के 24 घंटे पूर्व की चोटें हैं। यह सभी चोटें किसी छप्पर के नीचे बैठे हो और उसमें हवा से छप्पर मय ईंटों के साथ गिर जाए तो चोटें आना संभव है। यह न्यायालय विषेशज्ञ की इस राय से कतई सहमत नहीं है, क्योंकि यदि छप्पर और ईंटें ऊपर से गिरेंगी तो शरीर के अधिकतर ऊपरी हिस्से पर अर्थात् हाथ पर, कंधे पर और प्रमुख रूप से सिर में चोट आएगी। सिर पर कोई चोट नहीं आई है। यह संभव भी नहीं है कि फरियादी पक्ष के तीन लोग छप्पर के नीचे बैठे हो और छप्पर गिरने से उक्त चोटें आ गई हों। छप्पर और ईंटें गिरने से पैरों पर, पैरों के तलुओं पर और कूल्हों पर चोटें आना संभव ही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०-04 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

27. प्र०पी०-04 के अनुसार धीरेन्द्र का मेडीकल परीक्षण दिनांक 15.07.12 को सुबह 10:15 बजे हुआ है, प्र०पी०-05 के अनुसार वासेन्द्र का मेडीकल परीक्षण 15.07.12 को सुबह 10:30 बजे हुआ है, प्र०पी०-03 के अनुसार रामढकेली का मेडीकल परीक्षण दिनांक 15.07.12 को सुबह 10:40 बजे हुआ है। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०-04 ने प्र०पी०-03 लगायत प्र०पी०-05 में चोटें 24 घंटे के भीतर आना बताया है। प्र०पी०-03 लगायत प्र०पी०-05 से भी यह स्पष्ट है कि लगी चोटें मेडीकल परीक्षण से 24 घंटे के अंदर की थीं। तब आज पांच वर्षों के पश्चात बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें 24 से पूर्व की नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभिलेख से ही स्पष्ट है कि चोटें 24 घंटे के पूर्व की थीं अर्थात् 14.07.12 को शाम 06:00 बजे की होने की पुष्टि होती है जो कि लगभग साढ़े सोलह घंटे पूर्व की हैं जो कि 24 घंटे के अंदर ही कहलाएंगी। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०-04 बाद में प्रतिपरीक्षण में 24 घंटे के पूर्व की होना कहता है। तब निश्चित रूप से यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि क्या वास्तव में डॉ० धीरज गुप्ता अभियुक्तगण से मिल गए हैं क्योंकि अपनी लिखी हुई मेडीकल रिपोर्ट के विपरीत कथन कर रहे हैं। जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अतः इन परिस्थितियों में यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि चोटें 24 घंटे के पूर्व की थीं और साथ ही यह भी मान्य नहीं किया जा सकता है कि छप्पर मय ईंटों के गिरने से तीनों को ही उपरोक्त सभी चोटें आईं।

28. वासेन्द्र अ०सा०-01, धीरेन्द्र अ०सा०-02 एवं श्रीमती रामढकेली अ०सा०-03 के प्रतिपरीक्षण ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आए है, जिससे कि उनकी इस साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए कि अभियुक्तगण ने लाठियों व सरिण से उनकी मारपीट की। बचाव साक्षी महाराज सिंह ब०सा०-01 स्वयं अभियोजन मामले का समर्थन करता है। अतः इन परिस्थितियों में वासेन्द्र अ०सा०-01, धीरेन्द्र अ०सा०-02,

श्रीमती रामढकेली अ0सा0-03 एवं उपरोक्त चोटों के आने के संबंध में धीरज गुप्ता अ0सा0-04 की साक्ष्य विश्वसनीय मान्य किए जाने में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है। यदि अन्य किसी प्रकार से चोटें आतीं और अभियुक्तगण को झूठा फंसाया जाता तो निश्चित तौर पर अभियुक्तगण इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करते, परंतु अभिलेख पर ऐसा स्पष्ट नहीं है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 14.07.12 को शाम 06:00 बजे या उसके लगभग ग्राम एमन पुरा में वासेन्द्र एवं रामढकेली की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की तथा धीरेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

29. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण रायसिंह, देशराज, शेरसिंह एवं शिवराज को फरियादी वासेन्द्र एवं रामढकेली की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा अभियुक्तगण द्वारा धीरेन्द्र की मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराकर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

30. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक के द्वारा अपीलार्थीगण को परीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। इस संबंध में उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि चार व्यक्तियों के द्वारा तीन व्यक्तियों की लाठियों व सरिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है तथा उनमें से एक व्यक्ति को दो स्थानों पर अस्थिभंग कारित किया गया है। मामले की इन परिस्थितियों तथा तथ्यों को देखते हुए तथा अभियुक्तगण की आयु को देखते हुए परीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

31. जहां तक की दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से दण्ड को कम किए जाने तथा अपीलार्थीगण के साथ उदारता बरतने की प्रार्थना की गई है। अभियोजन की ओर से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश को उचित ठहराते हुए कोई परिवर्तन न किए जाने की प्रार्थना की गई है।

32. मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए, जहां कि धीरेन्द्र के शरीर के दो स्थानों पर अस्थिभंग है और एक महिला की भी मारपीट की गई है तथा धारा-325 भा0दं0सं0 का अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। वहां विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा-323 (दो काउण्ट) भा0दं0सं0 के तहत तीन-तीन माह के कठिन कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से तथा धारा-325 भा0दं0सं0 के तहत एक-एक वर्ष के कठिन कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दण्ड से न्याय के

उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त दण्डादेश मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित प्रतीत होता है।

33. फलस्वरूप विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय और दण्डादेश किसी त्रुटि से ग्रसित न होने से उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तदनुसार प्रश्नगत निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।

34. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

35. प्रकरण में जप्तशुदा लाठियां एवं सरिया मूल्य हीन होने से पुनरीक्षण अवधि पश्चात नष्ट की जावे। पुनरीक्षण होने पर माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

36. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड